an>

Title: Need to set up a textile park on the vacant land of Ganesh Sugar Mills, Anandnagar in Maharajganj Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। इस विÂषय को मैंने पहले भी सदन में उठाया है। हमारे क्षेत्र में एक स्वदेशी माइनिंग मैन एण्ड मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी थी जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 फरवरी, 1988 को निर्णय देते हुए एन.टी.सी. कपड़ा मंत्रालय को सौंप दिया था। वर्ष 1994 में उस समय की सरकार ने एन.टी.सी. के प्रबंध तंत्र आदि को घाटा दिखाकर बंद कर दिया और बी.एफ.आई.आर. को सौंप दिया। बी.एफ.आई.आर. से ए.एफ.आई.आर. में वर्ष 1996 में गया। ए.आई.एफ.आर. ने सही दलील नहीं दी। अंत में 29.09.1999 को हाई कोर्ट ने उस मामले को वाइण्ड अप कर दिया। मैं इस बार लोक सभा में जीत कर आया हूं। यह मेरे क्षेत्र का मामला था। मैं जब इस विषय के पीछे पड़ा तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय की भारत सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐफिडेविट दिया था कि एन.टी.सी. गणेश शुगर मिल मेरी फैक्ट्री ही नहीं है, मेरी कोई संपत्ति नहीं है। कोर्ट ने उसको वाइण्ड अप कर के लिक्विडेटर डिसप्यूट कर दिया था जिसमें 5 करोड़ रुपये में उस फैक्ट्री को कहीं न कहीं सरकारी तंत्र से बेचा जा रहा था। फिर मैंने मंत्री जी से मिलकर एक रिक्वेस्ट की कि यह भारत सरकार की बड़ी संपत्ति है तो 49/2005 में एन.टी.सी. ने फिर से एक ऐफिडेविट टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में दाखिल किया। जिसमें फिर उन्होंने पुनः एन.टी.सी. मिल के लिए अपनी व्यवस्था दिखाई कि वहां कोई पार्क या कोई फैक्ट्री लगायी जाए। यह डिमाण्ड की गई, लेकिन फिर एन.टी.सी. के द्वारा कहीं न कहीं उस पर पुनः ध्यान न देने के कारण फिर 09.05.2017 को हाई कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर वहां पर बैठा दिया। वह 21 तारीख को टेकओवर करने जा रहे हैं। आज देश में कहीं न कहीं उद्योग लगाने के लिए, तमाम जमीनों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मिल के पास 745 एकड़ जमीन स्वयं की है जो सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ जो कोर्ट में आदेश दिया गया है कि एन.टी.सी. के जिन ऑफिशियल्स ने ढ़िलाई की है, उन पर कार्यवाही की जाए और इस मामले की पुनः जांच करवाकर वहां पर कोई न कोई उद्योग चलवाया जाए। मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की है। मैं चाहता हूं कि वह इस विषय को संज्ञान में लें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं

श्री शरद त्रिपाठी को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मंत्री जी जवाब देना चाहती हैं।

वस्त्र मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) : अध्यक्ष महोदया जी, मैं धन्यवाद देती हूं कि सतत् 10 वर्षों से ज्यादा समय तक माननीय सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के इस विÂषय को सदन में और सदन से बाहर मंत्रालयों के समन्वय से जागृत करने का प्रयास किया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह मसला सरकार के पास वर्ष 2005 में न्याय की अपेक्षा से लेकर आए थे। मैं उन्हें आज इस सदन में मात्र इतना आश्वासन देना चाहती हूं कि वह जो संघर्ष कर रहे हैं, ताकि शुगर मिल एन.टी.सी. के संरक्षण से बाहर न जाए, उसके संदर्भ में मैं अगले ही दिन मंत्रालय में एक विशेÂष बैठक का आयोजन करूंगी और माननीय सांसद को उसमें विधिवत आमंत्रित करूंगी, ताकि जितनी चुनौतियां हैं, उनका निराकरण हम कर सकें और उनका वर्षों का संघर्ष समाप्त हो सके।